जाबरा में वापसी

पश्चिम बंगाल के गाँव में मत्स्य पालन के लिए स्व-सहायताकारी दल के उत्थान की कहानी, स्थानीय संपदा पद्धति की नए रूप से प्रयोग की खोज एवं सहज ग्रामीण लघु-ऋण की प्रभावशीलता

यह कहानी सत्येन्द्र डी. त्रिपाठी, ग्राह्म हेलर, एवं विलियम सेवेज द्वारा जगदीश सारन गंग्वार, वीरेन्द्र सिंह, गौतम दत्ता एवं प्रभात कुमार पाठक के साथ परामर्श के बाद लिखा गया

पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला के जाबरा गाँव में जाने वाली सड़क

पूर्वी भारत के जलसंभर पठार पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र में पुरूलिया शहर से २० किमी. पूर्व में जाबरा गाँव एवं पुरूलिया जिला के हुरा प्रखण्ड के गाँव स्थित है। जाबरा में २२० परिवारों के प्रायः १२०० लोग निवास करते हैं एवं यहाँ ४०० हे. कृषि योग्य जमीन है। एक तीन किमी. लम्बा कच्चा रास्ता, जो पहले जंगल के बीच से पत्थर के ऊपर से टेढ़ा-मेढ़ा रास्ता था, निकटतम मुख्य पक्का सड़क से इसे जोड़ती है। जुन से अक्टूबर के समय यह कच्चा रासता कीचड़ से भरी रहती है एवं अत्याधिक वर्षा के बाद यह नदी में परिवर्तित होकर लोगों के आने जाने के रास्ते में बाधा उत्पन्न करती है।

१९९० के मध्य में एक परिदर्शन

१९९६ में एस.डी.त्रिपाठी एवं ग्राह्म हेलर 'इस्टर्न इंडिया रेनफेड फार्मिग प्रोजेक्ट' (ई.आई.पी.एफ.पी) के जलकृषि प्रक्षेत्र विशेषज्ञ के रूप से जलकृषि प्रक्षेत्र विशेषज्ञ गौतम दत्ता के साथ जाबड़ा के १२ छोटे तालाबों को देखने गए। उस समय, आज से आठ साल पहले, प्रायः ६० प्रतिशत परिवार पूरे वर्ष के लिए खाद्य सुरक्षा में असक्षम थे एवं अधिकांश पुरूष एवं कुछ परिवार कुछ पैसों के लिए दिन मजदूरी का कार्य करने बाहर जाते थे। प्रायः एक-चौथाई परिवार स्थानीय सहूकार के पास ऋण के बोझ तले दबे थे, जो उन्होने अपने बुरे दिनों में खाद्य एवं दवा के लिए उनसे ऋण लिए थे। बच्चों को रोज ४ किमी. पैदल स्कूल जाना पड़ता था; सबसे निकतवर्ती बैंक- शायद कोई कभी वहाँ जाने के बारे में सोचा भी नहीं था- वह भी ५ किमी. की दूरी पर अवस्थित था।

समुदाय संगठक प्रभात कुमार पाठक ने कहा कि धान की खेती में फसल पकने के समय सूखा का सामना करना पड़ता है एवं बलुई-दोमट मिट्टी में बहुत कम उत्पादन होता है। लोगों के अनुसार उन्हे मौसम की अनिश्चितता, अत्याधिक बाढ़ एवं सूखे का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद भी जाबरा के तीन-चौथाई परिवार धान की खेती करते थे, अन्य लोग (उनमें कई अन्य धान उगाने वाले कृषक भी है) खरीफ एवं रबी फसल के समय दिन मजदूरी का कार्य करते थे, ईंट के भट्टी एवं शादी के समय बैंड पार्टी में भी काम करते थे। पुरूषों में दो-तिहाई एवं महिलाओं में एक-तिहाई से भी कम लोग पढ़े-लिखे थे।

यद्यपि पढ़ाई एवं शादी को लेकर परंपरागत सोच में परिवर्तन हो रहा है- ''पढ़े-लिखे लड़कियों को लोग शादी के लिए अधिक पसंद करते हैं''- एवं लड़कियों में ३८ प्रतिशत तक लड़किया पढ़ी-लिखी हैं।

जलसंभर क्षेत्र में लोगों को कृषि के कार्य में सहायता- सामाजिक संपदा गठन के द्वारा:

जाबरा गाँव

कुछ सरकारी सहायता इस गाँव में पहुँचा है एवं हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन की एक परियोजना ने सहायता प्रदान की है। उसके बाद १९९५ में कृषक भारती कोआपरेटीव नामक भारतीय फर्टिलाइजर कोआपरेटीव, ब्रिटीश सरकार की डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (डी.एफ.आई.डी.) ने सहकर्मी रूप से गाँव के लोगों को दल बद्ध होकर भविष्य के कार्य योजना बनाने के लिए उत्साहित करना शुरू किया। प्रभात कुमार पाठक ने कहा कि पश्चिम बंगाल में वीरेन्द्र सिंह द्वारा समन्वित संयुक्त रूप से संचालित ई.आई.आर.एफ.पी. सामाजिक संपदा के गठन के द्वारा उन लोगों को सहायता किया जा रहा था जो जलसंभर क्षेत्र में कृषि कर रहे थे। वीरेन्द्र सिंह के कथन के अनुसार ''समुदाय संगठकों की प्रेरणा एवं जागरूकता के प्रचार के द्वारा समुदाय के भीतर में एवं समुदाय द्वारा ही सामाजिक संपदा का गठन होता है।''

प्रचुर सामाजिक संपदा का प्रमाण इसमें देखने को मिलता है। गाँव के आधे लोग अनुसूचित जाति एवं जनजाति के है। अनुसूचित जाति में कालिंदी एवं साही परिवार के लोग भी हैं एवं पिछड़े वर्ग के परिवार जैसे महतो, गराई एवं मंडल परिवार भी इसी गाँव में निवास करते हैं। कुछ नव निर्मित सामाजिक संपदा भी उभर रहे हैं, जैसे- सब्जी का चारा तैयार करने का दल एवं नर्सरी निर्माण का दल एवं गाँव के समिति द्वारा मत्स्य पालन की परियोजना भी चलाया जा रहा है।

२००३ में वापस आकर

२००३, सितम्बर में ग्रामीण विकास ट्रस्ट, जो कि ई.आई.आर.एफ.पी. से उभरा एक गैरसरकारी संगठन है, एवं मौभूम ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक अजित बैनर्जी के साथ हम फिर जाबरा गाँव के परिदर्शन में गए। इस बार हमारे दल ने कुद्दुस अंसारी, पंश्चिम बंगाल के काईपारा से एक जानकार, भीम नायक एवं रास बिहारी बारीक, पड़ोसी झारखंड राज्य से मछुआ समुदाय के नोताओं को शामिल किया गया एवं विलियम सेवेज, जो पूर्वी क्षेत्र में नीति परिवर्तन एवं सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया में जलकृषि कृषक समुदायों को सहायता कर रहे हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया। हम जाबरा के एक छोटे से बैठक हॉल में एकत्र हुए जो जी.वी.टी के सहायता से निर्मित हुआ था। तीन अस्थायी दल से चालिस से भी अधिक सुसंगठित स्व-सहायाताकारी दल का गठन हुआ। इसके अतिरिक्त, अब सहायता न केवल जाबरा समूह के गाँव (जाबरा, बुधुदिह, कुलाबहाल एवं पंचुदिह) में पहुँचा है बल्कि वर्ष २०० से यह आस-पास के २४ गाँवों में भी प्रसारित हुआ है।

''डोबा प्रणाली''

सात स्व-सहायताकारी दल अब मत्स्य पालन कर रहें हैं। नबोदय नामक एक समूह १९९८ से बड़े तालाबों अथवा टैंकों में संचयन के लिए मौसमी तालाबों में अंगुलिका पालन की शुरूआत की। हमने नित्य गोपाल जो एक समूह जानकार है उससे

समूह के पिछले पाँच वर्षों के अनुभवों के बारे में पूछा। उन्होने कहा कि यह सुझाव ई.आई.आर.एफ.पी. के द्वारा दिया गया था एवं इसे ''डोबा प्रणाली'' कहा जाता है। जी.वी.टी., पश्चिम बंगाल के राज्य समन्वयक श्यामलाल यादव ने कहा कि लोगों की जलकृषि विकल्प एवं डोबा तथा मौसमी तालाबों का प्रयोग डी.एफ.आई.डी. के एन.आर.एस.पी. के ''पूर्वी भारत के पठारी क्षेत्र में कृषि कार्य के साथ समन्वित रूप से मत्स्य पालन'' (१९९६-२०००) नामक परियोजना के सहयोग से किया गया था। राकेश रमण नामक एक आदिवासी नाट्यकार द्वारा लिखित ''छोटे मछलियों का तालाब'' नुक्कड़-नाटक, जो परियोजना के धन से बनाया गया, में ग्रामीण लोगों के जीवन-यापन एवं गाँव को छोड़ कर अन्य मजदूरी के काम के बदले डोबा में मत्स्य बीज पालन के कार्य के बारे में दिखाया गया है। डोबा एक छोटा तालाब या एक बड़ा गढ्ढा है जहाँ पानी का जमाव होता है एवं यह अधिकांश कृषकों के घर अथवा खेत के आस-पास मिलता है।

नित्य गोपाल ने कहा कि बांकुरा से रोहू, कतला एवं मृगल मछली का बीज खरीदा गया था। यह मछली तालाब के भिन्न स्तरों में रहती है; जिसके परिणाम स्वरूप उनके द्वारा तालाब का प्रतयेक भाग का व्यवहार होता है। यह मछली खाद्य के रूप में लोगों द्वारा काफी पसंद किया जाता है। प्रथम समस्या यह ढूँढ निकालना है कि किस गाँव में मत्स्य बीज की आवश्यकता है क्योंकि शहर से एक बार जो मत्स्य बीज खरीदकर लाया जाता है वह तीन-चार गाँवों के लिए ही काफी होता है।

केवल धनी व्यक्ति ही मौसमी तालाब का मालिक हो सकता है।

कई स्थानीय परिवारों की तरह, दल के लोगों का अपना नीजि तालाब नहीं था अथवा मत्स्य पालन के लिए सरकारी सहायता प्राप्त तालाबों में विशेष कोई सुविधा नहीं थी। नित्य गोपाल नामक जानकार के अनुसार ''जलसंभर क्षेत्र में पानी की मांग अधिक है, केवल धनी व्यक्ति के पास बारहमासी तालाब होता है।'' उनके पास बहुत डोबा है एवं वे अपने व्यवसाय के काम में पाँच मौसमी तालाबों का प्रयोग करते हैं, जहाँ मत्स्य बीज छोड़ कर डोबा में उसे अंगुलिका बनाया जाता है। वर्षा पर निर्भर करके, दो से पाँच डोबा का प्रयोग करते हैं। मछली छोड़ने से पहले डोबा को तैयार किया जाता है। पहले केवल गौबर के प्रयोग कर डोबा तैयार करने का काम होता था, परन्तु समय के साथ-साथ अब दल के लोग चूना, जौविक खाद, यूरिया एवं सुपर फासफेट का प्रयोग करने लगे हैं एवं इसके साथ प्रत्येक दो-तीन दिनों में चावल कण भी देते है।

रूबु मुखर्जी (स्ट्रीम भारत के संचार केन्द्र प्रबंधक) नित्य गोपाल से जाबरा में मछली पालन के लिए प्रयोग किये जाने वाले मौसमी तालाब के बारे में चर्चा करते हुए

नित्य गोपाल ने कहा कि छोटे डोबा में मछली की देख-रेख करना सहज होता है, परन्तु मछली बड़े होने के साथ डोबा में उसका घनत्व बढ़ जाता है एवं तब उन्हें वर्षा के पानी से भरे हुए तालाबों में, जिसकी तैयारी भी उसी प्रक्रिया से की जाती है, स्थानांतरित किया जाता है।

यदि सितम्बर-अक्टूबर में वर्षा होती है तो जनवरी तक पानी रहता है

पाँच वर्षों के मत्स्य पालन के बाद दल अनुभवी हो गया है एवं नित्य गोपाल अपने सुचारू काम-काज के संबंध में बताते है: ''हम दिसम्बर से डोबा तैयार करते हैं जब वर्षा होती है तब मतस्य बीज खरीदते हैं एवं लिटमस पेपर के द्वारा जल की गुणवत्ता का परीक्षण किया जाता है यदि पानी का रंग गुलाबी अथवा लाल हो जाता है तो जल में चूना डालते हैं। प्रत्येक तीन-सात दिनों के अन्तराल में प्लवक-जाल से जुड़े हुए नल के द्वारा खाद्य में अतिरिक्त चावल कण के प्रयोग की मात्रा एवं खाद की मात्रा का परीक्षण किया जाता है (यदि मत्स्य घनत्व अधिक होता है तब यह प्रक्रिया कम दिनों के अंतराल में किया

जाता है)। यदि प्लवक का घनत्व अधिक होता है तो हम चावल-कण देना कम कर देते हैं, और यदि प्लवक का घनत्व कम रहता है तो हम खाद्य एवं खाद अधिक देते हैं। अप्रैल और कभी-कभी जून तक, यदि मौसमी तालाब में मछली की संख्या का घनत्व बढ़ जाता है तब इस तालाब से मछली को लेकर दूसरे तालाबों में छोड़ा जाता है। उसके बाद हम मछलियों को सितम्बर-अक्टूबर तक बढ़ने देते हैं, जब १ किग्रा. में प्रायः १० मछली आते है। जब सिल्वर कार्प एवं कॉमन कार्प का वजन २५०-३०० ग्राम तक पहुँचता है, रोहू, कतला एवं मृगल के लिए यह वजन ५०-१०० रहता है। यदि वर्षा सितम्बर-अक -टूबर में आती है तब पानी जनवरी तक रहती है, तब रोहू, कतला एवं मृगल २५०-३०० ग्राम तक बढ़ती है एवं कुछ सिल्वर कार्प एवं कॉमन कार्प ५०० ग्राम से भी अधिक बढ़ जाती है।

पीछे जल से भरा हुआ तालाब है जहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर मछलियों को रखा गया है, दल का एक सदस्य उस तालाब में डालने के लिए पानी के साथ गोबर को मिलाते हुए

अगर आप मांस खाना चाहते हैं तो अनेक लोगों के लिए एक बकरी ही काफी है लेकिन एक मछली केवल एक या दो लोगों के लिए काफी है:

''आपका मुख्य खरीदारी क्या है?'' नित्य गोपाल ने कहा कि वे मछली खाते हैं, यह मात्र ३० रूपये/किग्रा. है। वहीं दूसरी ओर मुर्गी का मांस का दाम १०० रूपये/किग्रा. है। यदि मांस खाना रहता है तब अनेक लोगों के लिए एक बकरी ही पर्याप्त है परन्तु एक मछली केवल एक या दो लोगों के लिए पर्याप्त होती है। हम अनेक प्रकार की सामग्री बेचते हैं, मछली की अंगुलिका का दाम कम-अधिक होता रहता है, मौसम की शुरूआत में बड़ी अंगुलिका का दाम ज्यादा रहता है। जब हम अधिक मछलियों का संचय एक ही तालाब में करते हैं तब उनकी वृद्धि सही ढंग से नहीं हो पाती है। जब उन्हे बड़े तालाबों में छोड़ा जाता है तब वे शीघ्रता से बढते हैं (मात्स्यिकी वैज्ञानि इस प्रक्रिया को क्षतिपूरक वृद्धि कहते हैं)। इसलिए , जिनके पास बारहमासी तालाब है वे हम लोगों से इसे ९०-१०० रूपये/किग्रा. की दर से खरीदते हैं। मछली पकड़ने के बाद तालाब के पास ही हम उस मछली को २०-३० रूपये/किग्रा. की दर से बेचते हैं। अण्डा देने वाली बड़ी मछलियों को तालाब के मालिकों के पास हम ६०-७० रूपये/किग्रा. की दर से बेचते हैं।

सहज ग्रामीण ऋण की प्रभावशीलता

वर्ष २००० के मई महिने में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसके अनुसार ग्रामीण विकास बैंकों को स्व-सहायताकारी दल के लिए लाभदायक स्थानीय वित्त योजना की शुरूआत करने का आदेश दिया गया था। यह आदेश ग्रामीण बैंक से लघु ऋण प्राप्त करने के संबंध से जुड़ा है। यह शीघ्रता से मंजूरी मिलने वाली ऋण (तीन दिनों के भीतर) है। दल के लिए यह ऋण प्राप्त होता है, इसमें सहज किश्तों में ऋण चुकाने की व्यवस्था है जिससे दल कोई भी एक अथवा सभी ऋण एक साथ अथवा तीन वर्षों के अन्दर किसी भी समय वापस कर सकता है। यहाँ वार्षिक ब्याज दर १२ प्रतिशत है जबकि साहूकार से लिए गए कर्ज का मासिक ब्याज दर ५-१० प्रतिशत रहता है। बैंक से ५०० से कई लाख रूपये तक के ऋण प्राप्त किये जा सकते है। अब दल के दो-तीन चुने हुए सदस्यों को बैंक में जाकर दल के अस्तीत्व का प्रमाण पत्र एवं उनके द्वारा संचित धन राशि का विस्तृत विवरण, उनके योजना (जिसमें ऋण का परिमाण भी उल्लेखित रहता है) एवं अपने उद्देश्य का खुलासा करके ऋण के लिए आवेदन करना होगा। बैंक में सही रूप से भरे गए ऋण अनुबंध एवं एक दस्तावेज जिसे 'डिमांड प्रोमीसरी'' नोट कहा जाता है, की आवश्यकता होगी। जिस दल ने अपना प्रथम ऋण का १०० प्रतिशत चुका दिया है वे दूसरी बार ऋण पाने के योग्य है।

मत्स्य पालन करने वाले स्व-सहायताकारी दल का संचय परिमाण सर्वाधिक है

भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार ऋण दल के संचय से चार गुणा से अधिक नहीं होगा। अजित बैनर्जी, लुधुरका के शाखा प्रबंधक ने कहा कि सव-सहायताकारी दल मत्स्य पालन करके सफल है एवं उनकी जमा पूंजी अन्य दलों से अधिक है इसलिए उनका ऋण प्राप्त करने का परिमाण भी अधिक है। सिधु कानु मत्स्य दल (आदिवासी नेता के नाम पर) के पास ४० हजार रूपये से अधिक की संपत्ति है। सांताल ग्राम देओली में मत्स्य पालक दल आइनुल शालमत जिनके पास दो लाख का संचय धन है, उन्होने तीस हजार रूपये के ऋण के लिए आवेदन किया। नबोदय दल का निजस्व संचय ०.८ हे. तालाब है जो

जाबरा गाँव का एक बारहमासी तालाब जिसका बाँध का मरम्मत किया गया है

कि हाल में ही खरीदा गया, उन्होने तालाब पंजीकरण शुल्क एवं २४,००० अंगुलिका के संचयन के लिए १६,००० रूपये ऋण के लिए आवेदन किया।

ऋण का व्यवहार अब दल के लोग संपदा के रूप में कर रहे हैं

अजित बैनर्जी के अनुसार ''यह एक बड़ा परिवर्तन है।'' ''इस ऋण को अब दल के लोग संपदा के रूप में प्रयोग कर रहे हैं एवं यह उन्हें बोझ तले नहीं दबा रही है।'' प्रायः ८० प्रतिशत दल मासिक किस्तों में ऋण चुकाते हैं (जैसे पान विक्रेता, बाँस के कारीगर अथवा छोटे पशु व्यापारी) एवं अगस्त २००२ से ग्रामीण विकास अधिकारी के साथ बैंक प्रबंधक भी महिने के अंत में ग्रामीण परिदर्शन पर आते हैं। इसका एक उदाहरण महामाया दल है, जिसमें दल के सभी सदस्य महिलाएँ हैं एवं वे विभिन्न आय-जनित कार्यो से जुड़ी हैं, जैसे पीसे हुए मसाले को पैकेट में भरकर स्थानीय बाजार में बेचना आदि। इस दल ने एक पिसाई मशीन खरीदने के लिए ६,००० रूपये का ऋण लिया ताकि इससे समय एवं श्रम दोनों बच सके एवं उत्पादन में वृद्धि हो सके। इस समय इस दल का प्रत्येक सदस्य ५००-६०० रूपये प्रति माह कमा रहा है।

एक व्यक्ति तभी पैसा बचा सकता है जब उसमें दृढ चाह हो, एवं एक-एक पैसा मायने रखता है

कई स्व-सहायताकारी दलों में केवल महिला सदस्य ही है। ठाण्डा महतो गाँव की एक जानकार एवं प्रगतिशील महिला है, उन्होने कहा कि उनके दल ने विभिन्न जगहों एवं सप्लायर्स से मत्स्य बीज खरीदा एवं इसे गाँव के तालाब में संचय किया, इसमें सभी ग्राम वासियों का १०० प्रतिशत हिस्सा है। वो अपने पति द्वारा प्राकृतिक स्रोतों अथवा ग्रामीण तालाबों से पकड़े गए मछलियों को बेचती भी हैं जिससे उन्हे व्यक्तिगत रूप से अच्छी आमदनी प्राप्त होती है। वो कहती हैं- ''मैं यह विश्वास करती हूँ कि एक व्यक्ति तभी संचय कर सकता है जब उसमें दृढ़ चाह हो एवं इसमें एक-एक पैसा का महत्व होता है।'' उन्होने इस ओर भी संकेत किया कि उनके नाम पर आज बैंक में ४०,००० रूपये जमा है। उनके दल में पाँच परिवार ऐसे भी हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है एवं यह भी उल्लेखनीय है कि उन्हे भी सहायता मिल रही हैं।

साधारणतः फसल उठावन के बाद मत्स्य पालक ऋण लौटाते है। अजित बैनर्जी के अनुसार फिलहाल जाबरा के चालिस स्वयं-सहायताकारी दल के पास कुल जमा पूंजी कई लाख रूपये एवं बैंक से लिए गए ऋण कई सौ हाजार रूपये है। कई समूहों के स्वीकृत ऋण को पोस्टर के माध्यम से बैठक कक्ष में प्रदर्शित किया जाता हे; सभी के ऊपर ऋण चुकाने का एक दबाव रहता है ताकि कोई दूसरे के लिए नियम का उलंघन न करे।

हम खुश हैं कि हमें सुना एवं आदर किया जाता है

परिवर्तन के विषय पर एक महिला ने कहा, ''वर्षा ऋतु हमारे लिए एक अभिशाप था क्योंकि इस समय हमारे पास न तो पैसे होते थे और न खाना। हमें सहूकार से ऋण प्राप्त करने के लिए अपने घर के बर्तनों, साईकिल अथवा कोई भी कीमती चीज को उच्च ब्याज दर पर गिरवी रखना पड़ता था। परन्तु आज हमारे पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका सामना हमें बीते हुए समय में करना पड़ता था।''

दल गठल के संदर्भ में ललिता महातो नामक एक वृद्ध महिला का कहना है, ''एक समय ऐसा भी था जब हम पुरूषों से बात करने का दुस्साहस नहीं कर सकते थे, अपरिचित लोगों की तो छोड़िये ! परन्तु आज हम बैंक जाते हैं एवं ऋण के बारे में बात करते हैं, हम पंचायत प्राधिकारियों के पास जाते हैं एवं अपनी शिकायतों को उनके समक्ष रखते हैं, इसके अलावा हम किसी भी चुनौतियों का दृढ़ता से सामना करने में सक्षम है। हम खुश है कि आज हमें सुना एवं आदर किया जाता है।''

जिन लोगों से हमारी मुलाकात हुई उन्हे जाबरा परिभ्रमण पर जाने वाले सभी लोग सुनते हैं एवं उनका सम्मान भी करते हैं। कुद्दस अंसारी अपने साथी जानकार के साथ गहन चर्चा कर रहे थे, उनमें से कई लोग ऐसे भी थे जिनसे वे पहले भी 'किसान मेला' में मिल चुके थे। झारखण्ड के सिल्ली प्रखण्ड के रास बिहारी नामक सुपरिचित मत्स्य बीज उत्पादक महिला समूह की सहभागिता से प्रभावित तो हुए परन्तु इस बात पर भी उन्होने चिन्ता जताई कि वे वहन के दौरान ३०-५० प्रतिशत तक मत्स्य बीज का नुकसान कर देती हैं। उन्होने सुझाव दिया कि वे उन्हे सुविज्ञता उपलब्ध करा सकते हैं जिससे बिना किसी नुकसान के मत्स्य बीज का वहन किया जा सके। वे स्वयं एक छोटी

जाबरा में कुद्दस दूसरे जानकारों के साथ बात-चीत करते हुए

सी शुरूआत से आज प्रति वर्ष १३-१४ टन मत्स्य बीज का वहन करते हैं। उन्होनें स्थानीय तौर पर मत्स्य बीज उत्पादन पर सोचने के लिए उत्साहित किया। झारखंण्ड के बूंदू प्रखण्ड के भीम नायक जाबरा गाँव के महिलाओं द्वारा की गई प्रगति से काफी प्रभावित हुए एवं चाहते हैं कि वे अपने उदाहरण को प्रस्तुत कर उनके गाँव की महिलाओं को प्रेरित करें। इस संदर्भ में उन्होने उन्हे अपने गाँव आने का निमंत्रण भी दिया। उन्होने कहा, ''मैं इसलिए भी खुश हूँ कि उस गाँव में एक भी व्यक्ति शराब नहीं पीते, जो हमारे गाँव के विकास के लिए शाप है।'' उन्होने अपना आँख भी दिखाया जो उनके बाल अवस्था में एक शराबी द्वारा हमला करने से फूट गया था और आठ टाँके भी पड़े थे।

योजना को कार्यान्वित करना जो कुछ वर्ष पहले तक केवल एक सपना था

ई.आई.आर.एफ.पी. और अब जी.वी.टी. समुदाय संगठकों द्वारा स्व-चयनित स्वयं-सहायताकारी दल को सहयोग जाबरा विकास प्रक्रिया का मेरूदण्ड है। अब यह समुदाय काफी सशक्त हो चुकी है अतः प्रक्रिया के अनुरूप समुदाय संगठकों की भूमिकाओं को २००१ में हटा लिया गया। इस सहायता के साथ है 'डी.एफ.आई.डी' 'एन.आर.एस.पी.' के सहायता प्राप्त कृषकों के द्वारा सहज तकनीकी गवेषणा एवं उन्नत लघु ऋण का अवसर, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश के अनुसार मल्लभूम ग्रामीण बैंक द्वारा कार्यान्वित- भिन्न प्रकार के अवसर के उपाय को सामने लाया। जाबरा जाने का रास्ता अब भी भारी वर्षा के दिनों में बाधित होता है फिरभी काफी परिवर्तन हुआ है। महिलाओं एवं पुरूषों के लिए सम्मान एवं उनके बात सुनने का- अवसर बढ़ा है, आय में बढ़ोत्तरी, संचय, सुरक्षा का अवसर प्राप्त हुआ है, स्थानांतरण के बदले दूसरा काम, लोग बैंकों के साथ जुड़ गए हैं एवं नई चिन्ताधाराओं को कार्यान्वित करने

जाबरा का विद्यालय, २००३

का अवसर बढ़ा है। कुछ साल पहले तक यह केवल एक सपना था।

सामाजिक संपदा गठन, इस्टर्न इंडिया रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट अथवा ग्रामीण विकास ट्रस्ट नामक गैरसरकारी संगठन के विषय में अधिक जानकारी के लिए जी.वी.टी. नायडा के सी.ई.ओ. अमर प्रसाद या अतिरिक्त सी.ई.ओ. जे.एस. गंग्वार एवं जी.वी.टी. पूर्व झारखण्ड, राँची के परियोजना प्रबंधक वीरेन्द्र सिंह से संपर्क करें।

जाबरा में आयोजित प्रतिभागी जलकृषि शोध के संबंध में अधिक जानकारी के लिए डी.एफ.आई.डी. नैचुरल रिसोर्स सिस्टम प्रोग्राम से संपर्क करें। इसके अलावे मालेन फेलसिंग, ग्राह्म हेलर, गौतम दत्ता, ब्रजेन्दु कुमार, स्मिता श्वेता, ए.नटराजन, गुलशन अरोड़ा, एवं वीरेन्द्र सिंह (२००३) के 'पूर्वी भारत के मौसमी जलाशयों में मछली उत्पादन' को देखें। एशियन फिशरिज़ साईस (१६) (१): १-५। यह www.streaminitiative.org से डाऊन लोड भी किया जा सकता है।

'डोबा प्रणाली' के विषय में अधिक जानकारी के लिए ghaylor@loxinfo.co.th में संपर्क करें एवं ''द पॉन्ड ऑफ द लिटिल फिशेज़'' नामक वीडियो फिल्म भी देखिये।

इसके लेखक गण इस कहानी में मारग्रेट क्वीन, अरूण पाण्ड्या एवं वीरेन्द्र सिंह के प्रति उनके टिप्पणी के लिए आभार व्यक्त करते हैं।